

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)
प्रस्ताव की राज्य कम संख्या FP/MP/IRRIG/16372/2015

| परियोजना स्कीम का स्थान:- केन-बेतवा लिंक परियोजना, जिला छतरपुर मध्य प्रदेश | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| 1 | परियोजना स्कीम का स्थान:- केन-बेतवा लिंक परियोजना, जिला छतरपुर मध्य प्रदेश | | | | | |
| (i) | राज्य /संघ शासित क्षेत्र (i) मध्य प्रदेश | | | | | |
| (ii) | जिला (ii) छतरपुर | | | | | |
| (iii) | वन प्रभाग (iii) छतरपुर | | | | | |
| (अ) वन विभाग के अधीन वन भूमि में:- | | | | | | |
| जिले का नाम / मंडल का नाम | परिक्षेत्र का नाम | आरक्षित /संरक्षित वनखंड का नाम | कुल आवंटित वन कर्षों की संख्या | लंबाई मीटर में | चौड़ाई मीटर में | आवृत्त क्षेत्रफल हे. में |
| छतरपुर /छतरपुर | बिजावर | देवरा अ | 442 | - | - | 16.91 |
| | | | 441 | | | 4.10 |
| | | | 440 | | | 21.54 |
| | | | 439 | | | 19.61 |
| | | | 438 | | | 27.46 |
| | | | 437 | | | 6.81 |
| | | | 430 | | | 62.58 |
| | | | 431 | | | 38.38 |
| | | | 432 | | | 56.27 |
| | | | 433 | | | 46.64 |
| | | | 416 | | | 5.29 |
| | | | 644 | | | 4.76 |
| | | | 643 | | | 17.87 |
| | | | 627 | | | 6.19 |
| | | | 613 | | | 3.14 |
| | योग | | - | | | 337.55 |
| (ब) राजस्व विभाग के अधीन वन भूमि में:- | | | | | | |
| अनु.क. | जिले का नाम | वन मंडल का नाम | तहसील का नाम | ग्राम का नाम | खसरा कमांक | आवृत्त क्षेत्रफल हे. में |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| (iv) वनतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र हे. में | | | (iv) | 337.55 हेक्टर | | |

| (v) | वन का कानून स्थल। | (vi) | संरक्षित वन |
|--------|---|--------|---|
| (vi) | हरियाली का घनत्व | (vi) | 0.2 से 0.6 तक |
| (vii) | प्रजाति वार (वैज्ञानिक नाम) परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए।) सिंचार्ड/जलीय परियोजना के संबंध में एक.आर.एल., एक.आर.एल.-2 मीटर पर परिगणना और एक.आर.एल.-4 मीटर भी संलग्न किया जाये। | (vii) | परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। |
| (viii) | भू-क्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी | (viii) | प्रस्तावित परियोजना में वन क्षेत्र व्यापवर्तन होने पर भू-क्षरण की संभावना नहीं है। |
| (ix) | वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी | (ix) | आवेदित क्षेत्र वन भूमि है। |
| (x) | क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैव मंडल रिजर्व, बांध रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि क्व भाग हैं? (यदि हां क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाए) | (x) | प्रकरण में डूब क्षेत्र हेतु आवेदित वन क्षेत्र पन्ना टाईगर रिजर्व बफर सीमा से लगा हुआ है तथा परियोजना के नहर क्षेत्र हेतु आवेदित वन क्षेत्र पन्ना टाईगर रिजर्व बफर सीमा से लगभग 11 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। |
| (xi) | क्या क्षेत्र में वनस्थिति और प्राणी जात की दुर्लभ/संकटाघ्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है। यदि हां/तो तत्संबंधी ब्यौरा दें। | (xi) | नहीं। |
| (xii) | क्या कोई सुरक्षित पुरात्त्ववीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रति ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा प्राधिकरण से अनापूर्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि आपेक्षित हो, दें। | (xii) | नहीं। |
| 8 | प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कॉलम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है? | 8 | प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है। |
| 9 | क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं? | 9 | नहीं। |

| | | | |
|-------|---|-------|--|
| (i) | प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अधिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र / अवकमित वन क्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी, मू-ब्रण्डों की संख्या, प्रत्येक मू-खण्ड का आकार | (i) | दोगुने बिगड़े वन क्षेत्र पर क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। विस्तृत योजना परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। |
| (ii) | प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अधिनिर्धारित वनेत्तर/अवकमित वन क्षेत्र आसपास के वन की सीमाओं को दर्शाता मैप | (ii) | परिशिष्ट-1 पर प्रत्येक वनीकरण योजना के साथ संलग्न है। |
| (iii) | रोषित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूचित. लागत ढांचा आदि | (iii) | संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार। |
| (iv) | प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल विलीय परिव्यय | (iv) | संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार। |
| (v) | प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अधिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण के समक्ष प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए) | (v) | परिशिष्ट-1 पर प्रत्येक वनीकरण योजना के साथ संलग्न है। |
| 11 | जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषता उपर्युक्त कॉलम 7 (xi, xii.) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये (संलग्न करें) | 11 | श्री ओ.पी.उचाड़िया (भा0व0से0) वन संरक्षक, सा0 वन मंडल छतरपुर द्वारा दिनांक 24/06/2016को किया गया। स्थल निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्ताव के साथ संलग्न है। |
| 12 | विभाग / जिला प्रोफाइल :- | | छतरपुर |
| (i) | जिले का भौगोलिक क्षेत्र | (i) | जिले का कुल 8616.82 वर्ग कि.मी. भौगोलिक क्षेत्र है। |
| (ii) | जिले का वन क्षेत्र | (ii) | जिले का कुल 1752.07 वर्ग कि.मी. वन क्षेत्र है। जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 20.3 प्रतिशत है। |
| (iii) | मामला की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वनक्षेत्र | (iii) | अभी तक जिले में 22 प्रकरणों में कुल 595.4268 हे. वन क्षेत्र गैरवानिकी कार्य हेतु प्रयोग में लाया गया है। |

| (iv) | 1980 से जिला प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण | (iv) | 24.10.80 से भारत सरकार / राज्य सरकार / नोडल अधिकारी मुख्य वन संरक्षक (मू-सर्व) से प्राप्त स्वीकृति अनुसार अभी तक 22 प्रकरणों में निम्नानुसार वृक्षारोपण किया जाना था। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------|------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----|------|--------|-------|---------|---------|-----|---------|----|
| | (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि 257.745 है. (ख) वनेत्तर भूमि पर 323.682 है. स्वीकृति अनुसार किया जाने वाला वृक्षारोपण 581.427 है. | | जिला | दुर्गम विगाड़े वन क्षेत्र में (हे.मै) | दण्डस्वरूप वन भूमि पर (हे.मै) | स्वीकृत अनुसार गैर वन भूमि पर (हे.मै) | दण्ड प गैर वन भूमि पर (हे.मै) | योग | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | छतरपुर | 2.849 | 254.849 | 323.682 | ... | 581.427 | | | | | | | | | | | | | | |
| (v) | तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति | (v) | <p>(क) वन भूमि पर— 246.02 है. (ख) वनेत्तर भूमि पर— 124.797 है.</p> <table border="1" data-bbox="718 1400 1085 2038"> <thead> <tr> <th>जिला</th> <th>दुर्गम विगाड़े वन क्षेत्र में (हे.मै)</th> <th>दण्डस्वरूप वन भूमि पर (हे.मै)</th> <th>स्वीकृत अनुसार गैर वन भूमि पर (हे.मै)</th> <th>दण्ड स्वरूप गैर वन भूमि पर (हे.मै)</th> <th>योग</th> <th>व्यय</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>छतरपुर</td> <td>1.746</td> <td>244.274</td> <td>124.797</td> <td>...</td> <td>370.817</td> <td>..</td> </tr> </tbody> </table> <p>अभी तक किया गया कुल वृक्षारोपण 370.817 है. एक्सपर्ट कमेटी की अध्ययन एवं अनुशंसाओं के अध्याधीन आवंटित 337.55 हे. वन क्षेत्र पर केन-बेतवा लिंक परियोजना निर्माण हेतु अनुशंसित।</p> | | | | | | जिला | दुर्गम विगाड़े वन क्षेत्र में (हे.मै) | दण्डस्वरूप वन भूमि पर (हे.मै) | स्वीकृत अनुसार गैर वन भूमि पर (हे.मै) | दण्ड स्वरूप गैर वन भूमि पर (हे.मै) | योग | व्यय | छतरपुर | 1.746 | 244.274 | 124.797 | ... | 370.817 | .. |
| जिला | दुर्गम विगाड़े वन क्षेत्र में (हे.मै) | दण्डस्वरूप वन भूमि पर (हे.मै) | स्वीकृत अनुसार गैर वन भूमि पर (हे.मै) | दण्ड स्वरूप गैर वन भूमि पर (हे.मै) | योग | व्यय | | | | | | | | | | | | | | | | |
| छतरपुर | 1.746 | 244.274 | 124.797 | ... | 370.817 | .. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | प्रस्ताव को स्वीकृति करने अथवा प्रस्ताव की अन्यथा लेने के संबंध में उष वन संरक्षक की विशेष सिफारिश | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

तिथि:-

स्थान:- छतरपुर

हस्ताक्षर
नाम — ओ.पी.उचाडिया (भा0व0से0)
पदनाम— वन संरक्षक,
सा10 वन मंडल छतरपुर म0प्र0